

26/5/17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प
में पेश हुई है। उद्योग पक्षकारान अनु./मिदल पूर्व
आदेशिकानुसार वास्तु अधिनियम कार्यवाही
आइन्दा दिनांक 18/8/17 को पेश हुई।

3/7/17

पत्रावली दिनांक 18/8/17 का कैम्पकोट
मय 3.7.17 मयस्तत लेखानुसार
अभियोगकारों को मूकित है।

3.7.17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प
में पेश हुई। उद्योग पक्षकारान ने कैम्प
में उपस्थित जज साहबजी को पेश कर
निवेदन किया कि उक्त वाद में हमारा
पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है। उक्त वाद में
पूर्व में बंटवाड़ा होने के आगामी कार्यवाही
इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली
केवल शुमार होकर दाखिल दफतर है।

राजस्व लोक अदालत/कैम्प
18/8/17

मंगलाना

मंगलाना

मंगलाना

मंगलाना

मंगलाना

मंगलाना

मंगलाना